न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या :– 38 / 2017

अपीलान्ट्स :–

1. उदाराम पुत्र हराराम उर्फ हरजीराम
2. आईदानराम पुत्र हराराम उर्फ हरजीराम
   दोनों जाति मेघवाल, निवासी– ग्राम राबड़िया, तहसील लूणी, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. गीता उर्फ मीनू कंवर पुत्री मूलसिंह राजपुरोहित
2. जसोदा पुत्री गीता उर्फ मीनू कंवर
3. तरूणा पुत्री गीता उर्फ मीनू कंवर
4. मुरलीधर पुत्र गीता उर्फ मीनू कंवर
   सभी जाति राजपुरोहित, निवासी– गांव हिंगोला, तहसील लूणी जोधपुर। (हाल निवास –मकान नं. 17, सुदामा नगर, हनुमानगढ़ रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर)।
5. फूलीदेवी पत्नी स्व0 भोलाराम
6. प्रेमाराम पुत्र स्व0 भोलाराम
7. गुड्डी पुत्री स्व0 भोलाराम
   तीनों जाति मेघवाल, निवासी ग्राम राबड़िया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
8. श्रीमान उप–तहसीलदार, झंवर तहसील लूणी, जोधपुर।

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बरखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 33 दिनांक 15.07.2017, जो उप–तहसीलदार, झंवर (लूणी), जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

– – –

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री धनराज चौधरी, अनिल राठी।
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 7 तक बावजूद इत्तला तामिल नोटिस के अनुपस्थित।

राजस्व अपील संख्या :– 39 / 2017

अपीलान्ट्स :–

1. उदाराम पुत्र हराराम उर्फ हरजीराम
2. आईदानराम पुत्र हराराम उर्फ हरजीराम
   दोनों जाति मेघवाल, निवासी– ग्राम राबड़िया, तहसील लूणी, जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स :–

1. गीता उर्फ मीनू कंवर पुत्री मूलसिंह राजपुरोहित
2. जसोदा पुत्री गीता उर्फ मीनू कंवर

3. तरूणा पुत्री गीता उर्फ मीनू कंवर
4. मुरलीधर पुत्र गीता उर्फ मीनू कंवर
   सभी जाति राजपुरोहित, निवासी– गांव हिंगोला, तहसील लूणी जोधपुर। (हाल निवास –मकान नं. 17, सुदामा नगर, हनुमानगढ़ रोड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर)।
5. फूलीदेवी पत्नी स्व0 भोलाराम
6. प्रेमाराम पुत्र स्व0 भोलाराम
7. गुड्डी पुत्री स्व0 भोलाराम
   तीनों जाति मेघवाल, निवासी ग्राम राबड़िया, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
8. श्रीमान उप–तहसीलदार, झंवर तहसील लूणी, जोधपुर।

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बरखिलाफ नामान्तरकरण संख्या 402 दिनांक 15.07.2017, जो उप–तहसीलदार, झंवर (लूणी), जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

– – –

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट संख्या 1 व 2 की ओर से अभिभाषक श्री धनराज चौधरी, अनिल राठी।
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार राठौड़ उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 5 से 7 तक बावजूद इत्तला तामिल नोटिस के अनुपस्थित।

–: आदेश :– **दिनांक :–** 04.07.2018

अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा उक्त दोनों अपीलें, अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नामान्तरकरण संख्या 33 ग्राम मेराणनगर पटवाल हल्का पिपरली व नामान्तरकरण संख्या 402 ग्राम राबड़िया पटवार हल्का चीचड़ली जो उप तहसीलदार (भू0अ0) झंवर द्वारा स्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की गई है, जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मेराणनगर में अपीलान्ट व उनके स्वर्गीय भाई भोलाराम के संयुक्त खातेदारी व कब्जा–काश्त की कृषि भूमियों के साथ कृषि भूमि खसरा नं0 43 रकबा 91.17 बिस्वा, 45/2 रकबा 67.02 बीघा कुल 157.17 बीघा आई हुई है।

ग्राम राबड़िया में अपीलान्ट व उनके भाई स्वर्गीय भोलाराम की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नं0 197 रकबा 37.03 आई हुई है। यह कृषि भूमि उक्त दोनों ग्रामों की कृषि भूमि अपीलान्ट के भाई स्वर्गीय भोलाराम ने अपने जीवनकाल में बहैसियत खातेदार/काश्तकार उपयोग कर रहे है। उनका नाम भी अपीलान्ट के साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। वर्ष 2007 में अपीलान्ट के भाई भोलाराम का स्वर्गवास हो गया, उनके स्वर्गवास के उपरान्त उनके हिस्से की कृषि भूमि उनकी पत्नी, पुत्र व पुत्री जो रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई।

अपीलान्ट के भाई स्वर्गीय भोलाराम का देहान्त होने के उपरान्त वर्ष 2008 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक दावा बाबत् बंटवाडा, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर अपने आप को स्वर्गीय भोलाराम की पत्नी, पुत्री व पुत्र बतलाया और अपीलान्ट के साथ–साथ उक्त कृषि भूमि में 1/3 हिस्से की मांग की लेकिन माननीय न्यायालय राजस्व

अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपील/जोधपुर/097/2012 निर्णय दिनांक 18.10.2013 को विवादग्रस्त भूमि की 1/3 हिस्से तक बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार के हस्तानान्तरण नहीं किया जावें। फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने विधि विरूद्ध राजस्व रेकर्ड में अपना नाम डलवा दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

उक्त दोनों अपीलों में पक्षकार व कानूनी बिन्दू एक समान होने से दोनों का निर्णय एक ही आदेश में किया जा रहा हैं। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियां में रखी जावें।

अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा दोनों अपीलें प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस/जरिये रजिस्टर डाक से तलब किया गया। अपील संख्या 39/2017 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 तक वकालतनामा अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार राठौड ने प्रस्तुत किया। अपील संख्या 38/2017 में रेस्पोडेन्ट को जारी नोटिस इत्तला/तामिल बावजूद भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इन दोनों प्रकरणों में अपीलाधीन आदेश से संबंधित मूल नामान्तरकरण उप तहसीदार झंवर से प्राप्त किये गये। इन अपीलों में अपीलान्ट अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। दोनों अपीलों के कानूनी बिन्दू एक समान होने के कारण इनका निर्णय मैरिट के आधार पर किया जा रहा है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक श्री अनिल राठी ने अपनी बहस शुरू करते हुए प्रस्तुत दोनों अपीलों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम राबड़िया में अपीलान्ट व उनके भाई स्वर्गीय भोलाराम की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नं0 197 रकबा 37.03 आई हुई है। यह कृषि भूमि उक्त दोनों ग्रामों की कृषि भूमि अपीलान्ट के भाई स्वर्गीय भोलाराम ने अपने जीवनकाल में बहैसियत खातेदार/काश्तकार उपयोग कर रहे है। उनका नाम भी अपीलान्ट के साथ राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। वर्ष 2007 में अपीलान्ट के भाई भोलाराम का स्वर्गवास हो गया, उनके स्वर्गवास के उपरान्त उनके हिस्से की कृषि भूमि उनकी पत्नी, पुत्र व पुत्री जो रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 7 को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई।

अपीलान्ट के भाई स्वर्गीय भोलाराम का देहान्त होने के उपरान्त वर्ष 2008 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक दावा बाबत् बंटवाडा, घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत कर अपने आप को स्वर्गीय भोलाराम की पत्नी, पुत्री व पुत्र बतलाया और अपीलान्ट के साथ–साथ उक्त कृषि भूमि में 1/3 हिस्से की मांग की लेकिन माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपील/जोधपुर/097/2012 निर्णय दिनांक 18.10.2013 को विवादग्रस्त भूमि की 1/3 हिस्से तक बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार के हस्तानान्तरण नहीं किया जावें। फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने विधि विरूद्ध राजस्व रेकर्ड में अपना नाम डलवा दिया।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि स्वर्गीय भोलाराम की शादी श्रीमती फूली से हुई थी और स्वर्गीय भोलाराम ने श्रीमती फूलीदेवी के साथ हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार विवाह किया था, दाम्पत्य जीवन के दौरान श्रीमती फूली देवी के एक पुत्र प्रेमाराम व एक पुत्री गुड्डी हुई। श्रीमती गीता ने स्वर्गीय भोलाराम

के साथ विवाह नहीं किया। मात्र कृषि भूमि हड़पने के लिए स्वर्गीय भोलाराम के साथ अवैध संबंध बनाये।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि श्रीमती गीता उर्फ मीनू कंवर पुत्री मूलसिंह राजपुरोहित ग्राम हिगोला की निवासी है। अपीलान्ट अभिभाषक ने बहस में यह भी कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत एक व्यक्ति दो पत्नियों से शादी नहीं कर सकता है। वास्तविकता यह है कि स्वर्गीय भोलाराम ने सर्वप्रथम श्रीमती फूलीदेवी से शादी की थी और शादी के पश्चात उसके एक पुत्री व एक पुत्र का जन्म हुआ। फूलीदेवी व उसके पुत्र व पुत्री आज भी जीवित है। हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत जब तक प्रथम पत्नी जीवित है तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकता। जबकि हकीकत यह है कि श्रीमती गीता उर्फ मीनू ने स्वर्गीय भोलाराम से हिन्दू रीति रिवाज व सामाजिक रीति रिवाज से कभी भी शादी नहीं की।

अपीलान्ट अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया न ही कोई सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने स्वर्गीय भोलाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसानों की जांच भी नहीं की गई और अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित कर दिया। मूल नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा भरने के पश्चात जांच हेतु भू अभिलेख निरीक्षक को प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक ने यह टिप्पणी अंकित कि मृतक के वारिसान् की पूर्ण जांच करें। तत्पश्चात् पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण की पुष्ट पर स्वर्गीय भोलाराम के वारिसानों की सूची अंकित की है। पटवारी हल्का ने स्वर्गीय भोलाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसानों की पूर्ण रूप से जांच नहीं की। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

प्रस्तुत अपील के साथ अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 15.07.2017 को होने पर समयावधि में नामान्तरकरण की नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी। इसके अलावा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया कि प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्याय संगत है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 तक के योग्य अभिभाषक श्री महेन्द्र कुमार राठौड़ ने अपनी बहस में कथन किया कि श्रीमती गीता स्वर्गीय भोलाराम की पत्नी थी। श्रीमती गीता को भोलाराम के द्वारा दो पुत्रिया व एक पुत्र की संतान प्राप्त हुई और श्रीमती गीता स्वर्गीय भोलाराम की पत्नी होने के कारण मृतक भोलाराम के हिस्से की कृषि भूमि में उसका भी हक/हिस्सा बनता है। इसी कारण राजस्व रेकर्ड में उसके नाम का अंकन किया गया। अतः अपील अपीलान्ट खारिज होना बताया।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भी अध्ययन किया। प्रस्तुत दोनों राजस्व अपील में वर्णित विवादग्रस्त आराजी के नामान्तरकरण में इन्द्राज की प्रविष्टी को लेकर विवाद है। नामान्तरकरण अपील में वर्णित नामान्तरकरण स्वीकृत करने बाबत् इस न्यायालय को बहुत सीमित अधिकार है।

नामान्तरकरण का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हुआ कि स्वर्गीय भोलाराम का इन्तकाल हो जाने से पटवारी हल्का ने विरासत का नामान्तरकरण कॉलम संख्या 14 में यह अंकित किया है कि खातेदार भोलाराम फौद दिनांक 12.10.2007 को होने पर इनके वारिसानों के नाम दर्ज कर विरासत का नामान्तरकरण जांच हेतु पेश किया। नामान्तरकरण के पुष्ट पर जो वंशावली अंकित की गई है, उसके अनुसार स्वर्गीय भोलाराम के पीछे फूलीदेवी पत्नी, गीता पत्नी, प्रेमाराम पुत्र, मुरलीधर पुत्र, गुड्डी पुत्री, तरूणा पुत्री, जसोदा पुत्री होना बताया गया है।

इस प्रकरण में यह तथ्य सामने आया कि स्वर्गीय भोलाराम के दो पत्निया वास्तव में थी भी या नहीं ? इसकी पुष्टि हेतु पत्रावली पर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस न्यायालय को मृतक भोलाराम के कौन – कौन वारिसान है, इसको तय करने का अधिकार नहीं है।

उक्त विवादग्रस्त नामान्तरकरण दिनांक 15.07.2017 को स्वीकृत किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के अपील/जोधपुर/097/2012 गीता पत्नी भोलाराम बनाम उदाराम पुत्र हराराम में निर्णिय दिनांक 18.10.2013 को यह आदेश पारित किया कि मृतक भोलाराम उर्फ गणपत उर्फ गणपतसिंह के 1/3 हिस्से की सीमा तक वादग्रस्त आराजियात का बेचान अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण नही किया जावे और ना ही वादग्रस्त आराजियात को किसी प्रकार से खुर्दबुर्द किया जावें अथवा क्षति पहुंचाई जावें। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के उक्त निर्णय के बावजूद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा 2017 में पटवारी हल्का द्वारा भरा गया नामान्तरकरण को तहसीलदार ने स्वीकृत कर दिया जबकि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने मूल वाद के निस्तारण तक विवादग्रस्त भूमि का हस्तानान्तरण नहीं किया जाने का आदेश पारित किया है।

इन प्रकरणों में यह एक जटिल प्रश्न है कि स्वर्गीय भोलाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान के रूप में श्रीमती फूलीदेवी या श्रीमती गीता को माना जावें। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति के प्रथम पत्नी जीवित होते हुए दूसरी शादी को मान्यता नहीं दी है। स्वर्गीय भोलाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान कौन होगें, इसका निर्णय करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के अभिभाषक ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हो सके कि श्रीमती गीता स्वर्गीय भोलाराम की पत्नी थी।

हमने अपीलान्ट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं दोनों अपीलों में सलंग्न नामान्तरकरण संख्या 33 ग्राम मेराणनगर व नामान्तरकरण संख्या 402 ग्राम राबड़िया का राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 में स्वीकृत किया गया का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट हुई कि मृतक भोलाराम के भाई उदाराम, आईदानराम पुत्र हराराम उर्फ हरजीराम द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है जबकि मृतक के भाई उदाराम व आईदानराम पुत्र हराराम उर्फ हरजीराम का इस विवादग्रस्त आराजी में कोई हितबद्ध व्यक्ति नहीं है अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक भोलाराम पुत्र हराराम

जाति मेघवाल के फौत होने पर जो विरासत का नामान्तरकरण भरा है उसमें फूलीदेवी पत्नी भोलाराम, गीता पत्नी भोलाराम, प्रेमाराम, मुरलीधर पुत्र भोलाराम व जसोदा, गुड्डी, तरूणा पुत्रिया भोलाराम जाति मेघवाल के नाम से स्वीकृत किया गया है।

–:आदेश:–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टगण उक्त अपील में कोई हितबद्ध व्यक्ति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण एतद् खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जाता है।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
अपर जिला कलक्टर, (प्रथम)
जोधपुर